

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मु.न. 03/17 तारीख 20 नू 10-17

उमवान - बाबू लाल बनाम धनदयाल वैज

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुब्रह्मचन्द्र शर्मा A.W. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत दस्तोखात का आवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस से तपब कर दिनांक 30-1-17 को पेश है।

135-38  
12-1-17

  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

30.1.17

प्रार्थी वकील (उप.) अप्रार्थीगण की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा A.W. उपस्थित हुए। कालांतरामा वजबब पेश करने लग्य-चाहा। प्रार्थी वकील ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के विषय पर बहस करने का अनुरोध किया। बहस उपर पक्ष वकील सुनी गई। बहस सुनकर मुम - वक महेन्द्रबाइ की शर्मा (बलरामबा)  $\frac{116}{0.18}$ ,  $\frac{117}{0.13}$ ,  $\frac{118}{0.26}$ ,  $\frac{125}{0.11}$ ,  $\frac{127}{0.13}$ ,  $\frac{119}{0.34}$  कुल किता 6 कुल रफबा 1.45 रु में गैरलायतान को आजादी सुनवाई तिथी तक पाबंद किया जाता है कि लायतान के कब्जे काशत में मजामहत मदाएलत नही करें। पेश करने कालांतरामा एवं वजबब दिनांक 22.2.17 को पेश है।

1 न 4  
20

उपनाम - श्रीलाल कृष्ण-धनश्याम कौ०

## न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

नांक

2.3.18

श्रीकृष्णाय उप०) प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञास्वीकार  
किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक् लिखा जाकर  
शामिल किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुगर होकर  
जम्बू से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)